कार्यालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धामगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण सं. 69/2016 Cems No. 2016/00083
दायरा तिथि : 01.08.2016
निर्णय तिथि: 11-07-22

वादीगण:-
मूर्ति श्री महादेवजी मंदिर गांव बमणिया
जरिये पुजारी स्व0 रतनपुरी पुत्र समरथपुरीजी के कायम मुकाम व उत्तराधिकारीगण:-
अ- प्रकाशपुरी पुत्र श्री रतनपुरीजी
ब-गोविन्दपुरी पुत्र श्री रतनपुरीजी
स-पुखपुरी पुत्र श्री रतनपुरीजी
द-मनोहरपुरी पुत्र रतनपुरीजी जातिगण गुसाई (गोस्वामी)
निवासीगण बमणिया तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. हरदयालसिंह पुत्र श्री मदनसिंहजी
2. महिपालसिंह पुत्र श्री मदनसिंहजी
3. कृष्णपालसिंह पुत्र श्री मदनसिंहजी
4. पुष्पाकंवर पत्नि श्री मदनसिंहजी
5. सवाईसिंह पुत्र रावतसिंहजी
6. पदमकँवर पत्नि बहादुरसिंहजी
7. नरेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
8. हितपालसिंह पुत्र सवाईसिंहजी
9. दिग्विजयसिंह पुत्र हणवंतसिंहजी
10. नवीन्द्रकवर पुत्री हणवंतसिंहजी
11. पारसकँवर पत्नि हणवंतसिंहजी
12. ईश्वरसिंह पुत्र बहादुरसिंहजी
13. कंकरकँवर पुत्री बहादुरसिंहजी तमाम जातिगण राजपुत
    निवासीगण बमणिया तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
14. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-

1. श्री मूलसिंह यादव ________ अभिभाषक वादीगण की ओर से
2. श्री अमृत परिहार ________ प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 06 से 13 ______ अनुपस्थित।
4. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार ________ पेशकार सरकार

-: निर्णय :- दिनांक : 11.7.2022

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>
<u>सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादीगण ने वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम बमणिया पटवार हल्का, मोखमपुरा में स्थित भूमि गत् खसरा नबर 58, 60, 59 कुल रकबा पौने 40 बीघा 03 बिस्वा के भू0 भाग से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नबर 158 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नबर 159 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु सडा को भू0प्रबन्ध पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज **माफिक डोली बनाम मंदिर श्री महादेवजी बमणिया** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में इसका आधार वादीगण द्वारा यह बताया गया कि ग्राम बमणिया में स्थित भूमि मय बेरा स्वामीवाला जिसके पुराने खसरा नबर 58 रकबा सवा 23 बीघा, किस्म चाही प्रथम, खसरा नबर 60 रकबा पौने 16 बीघा 03 बिस्वा, किस्म चाही अव्वल एवं खसरा नबर 59 रकबा आधा बीघा 04 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा कुल रकबा पौने 40 बीघा 03 बिस्वा डोली बनाम मंदिर श्री महादेवजी बमणिया के नाम से सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज थी। उक्त भूमि के सैटलमेंट बाद बने हाल खसरा नबर 152 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नबर 153 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 154 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नबर 155 रकबा 2.46 हैक्टर, खसरा नबर 156 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नबर 157 रकबा 0.07 हैक्टर को पुर्ववत् मंदिर श्री महादेवजी के नाम से दर्ज कर दिया गया। **परन्तु नये खसरा नंबर 158 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 159 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा** को बिना किसी आधार अधिकार के वक्त सैटलमेंट राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2023 से 2027 से **नये खसरा नंबर 158 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 159 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा** से वादीगण का नाम हटा दिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 13 का नाम दर्ज कर दिया। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से दुरस्ती के जरिये पुनः वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

पेज लगातार....02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण सं. 69/2016 Gcms No. 2016/00083

अनवान मूर्ति श्री महादेवजी जरिये पुजारी रतनपुरी के कामु. प्रकाशपुरी वगैरा बनाम हरदयालसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य जमाबंदी संवत् 2009 से 2028, जमाबंदी खतौनी संवत् 2023 से 2026 की प्रति, मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रैस की नकल, पुरानी नक्शा ट्रेस की नकल, .जमाबंदी संवत् 2047 से 2050, जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 की प्रति, पेश की गई। इन अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त बतौर मौखिक साक्ष्य गवाह P.W.-01 श्री प्रकाशपुरी पुत्र रतनपुरी गुसाई उम्र 59 वर्ष पेशा पुजारी निवासी बमणिया के बयान कलमबद्ध कराये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करते हुये पैरवी की गई। प्रतिवादी संख्या 06 एवं 09 से 12 को न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रोपर तामील के बावजुद नियत पेशीयो पर न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 07 व 08 दिनांक 15.09.2016 की नियत पेशी के सम्मन तामील के बावजुद न्यायालय में नियत पेशीयो पर वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 31.05.2022 से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार को वर्ष 2016 से जवाबदावा प्रस्तुती के लिये कई मर्तबा समय/ अवसर दिये जाने के बावजुद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 31.05.2022 की आदेशिका से इनका जवाबदावा का अवसर भी बन्द किया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 को रजिस्टर्ड डाक से भेजे सम्मन के तामीली स्टेट्स के अनुसार आईटन डिलीवर्ड की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से प्रोपर तामील मानते हुये न्यायालय में नियत पेशीयो पर वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 14 तहसीलदार, बाली के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं होने से दिनांक 15.06.2022 की आदेशिका से इनका जवाब अवसर भी बंद करते हुये पत्रावली वादी साक्ष्य के लिये रखी गई। वादी पक्ष द्वारा दिनांक 21.06.2022 को गवाह गवाह P.W.-01 श्री प्रकाशपुरी पुत्र रतनपुरी गुसाई उम्र 59 वर्ष पेशा पुजारी निवासी बमणिया के बयान कलमबद्ध कराये गये। तथा और कोई मौखिक साक्ष्य पेश करना नहीं चाहने से प्रतिवादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुती के निर्देश दिये गये, परन्तु प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, जिससे प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य भी बंद करते हुये पत्रावली को बहस के लिये नियत किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील श्री मूलसिंह यादव द्वारा बहस में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम बमणिया में स्थित भूमि मय बेरा स्वामीवाला जिसके पुराने खसरा नंबर 58 रकबा सवा 23 बीघा, किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 60 रकबा पौने 16 बीघा 03 बिस्वा, किस्म चाही अव्वल एवं खसरा नंबर 59 रकबा आधा बीघा 04 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा कुल रकबा पौने 40 बीघा 03 बिस्वा डोली बनाम मंदिर श्री महादेवजी बमणिया के नाम से सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज थी। उक्त भूमि के सैटलमेंट बाद बने हाल खसरा नंबर 152 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नंबर 153 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नंबर 154 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नंबर 155 रकबा 2.46 हैक्टर, खसरा नंबर 156 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नंबर 157 रकबा 0.07 हैक्टर को पुर्ववत् मंदिर श्री महादेवजी के नाम से दर्ज कर दिया गया। **परन्तु नये खसरा नंबर 158 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 159 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा को** बिना किसी आधार अधिकार के वक्त सैटलमेंट राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2023 से 2027 से **नये खसरा नंबर 158 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 159 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा** से वादीगण का नाम हटा दिया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 13 का नाम दर्ज कर दिया। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही विधि विरूद्व होने से दुरस्ती के जरिये पुनः वादीगण को खातेदार दर्ज किये जाने की दलील दी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि ग्राम बमणिया में स्थित भूमि मय बेरा स्वामीवाला जिसके पुराने खसरा नंबर 58 रकबा सवा 23 बीघा, किस्म चाही प्रथम, खसरा नंबर 60 रकबा पौने 16 बीघा 03 बिस्वा, किस्म चाही अव्वल एवं खसरा नंबर 59 रकबा आधा बीघा 04 बिस्वा किस्म गै.मु. बेरा कुल रकबा पौने 40 बीघा 03 बिस्वा डोली बनाम मंदिर श्री महादेवजी बमणिया के नाम से सैटलमेंट पुर्व के अधिकार अभिलेखों में दर्ज थी, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सैटलमेंट पुर्व की खतौनी बंदोवस्त सवंत् 2009 से 2028 में दर्ज इन्द्राज से होती है। उक्त इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में बदस्तुर कायम रहना भी प्रदर्श–03 में इन्द्राज से साबित है। परन्तु जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में खसरा नंबर 58 व 60 कुल रकबा 39 बीघा 03 बिस्वा ही श्री महादेवजी मंदिर एतमाम डोली बनाम खुदकास्त ही दर्ज होना भी प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–01 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार गत् खसरा नंबर 58, 60 व 59 से हाल खसरा नंबर 152, 153, 154, 155, 156, 157 एवं 158 व 159 बनने की पुष्टि होती है। पत्रावली पर उपलब्ध सैटलमेट बाद की जमाबंदी संवत् 2047 से 2050 प्रदर्श–04 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार गत् खसरा नंबर 58, 60 व 59 से बने हाल खसरा नंबर 152, 153, 154, 155, 156, 157 कुल खसरा–06 रकबा 6.52 हैक्टर का खातेदार मूर्ति मंदिर श्री महादेवजी खातेदार बएतमाम पुजारी गुलाबपुरी वल्द जसराज पुरी वगैरा दर्ज है।

पेज लगातार..03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद प्रकरण सं. 69/2016 Case No. 2016/00083

अनवान मूर्ति श्री महादेवजी जरिये पुजारी रतनपुरी के कामु, प्रकाशपुरी दौरा बनाम हरदयालसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

परन्तु गत् खसरा नंबर 58, 60 व 59 के भू0 भाग से बने हाल खसरा नंबर 158 व 159 को वादी मंदिर मूर्ति **महादेवजी के नाम दर्ज नहीं** कर प्रतिवादी संख्या 01 से 13 के नाम दर्ज किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श–07 में दर्ज इन्द्राजो से होती है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि मंदिर मूर्ति श्री महादेव मंदिर के नाम दर्ज भूमि को भूराजस्व कार्यवाही के दौरान गलत तौर **से प्रतिवादी संख्या 01 से 13 के नाम बिना किसी आधार अधिकारो के दर्ज की गई है।** जिसकी वादी वाद दुरुस्ती के माध्यम से घोषणा खातेदारी पाने के अधिकारी बनते है। जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

अतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बमणिया पटवार हल्का, मौखमपुरा में स्थित भूमि गत् खसरा नंबर 59 रकबा आधा बीघा 04 बिस्वा से बने हाल खसरा नंबर 158 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 159 रकबा 0.05 हैक्टर किस्म किस्म गै.मु. सडा के अधिकार अभिलेखों में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 से 13 का नाम विलोपित करते हुये संवत् 2009 से 2028 की जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज **अनुसार डोली बनाम मन्दिर श्री महादेवजी वाके देह बएतमाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।** इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मौखमपुरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री ...)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 11-07-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड ... बाली, जिला-पाली (राज.)